मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 22046 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / GMT-5 / 2014 भोपाल, दिनांक 10 / 10 / 2014

प्रति,

महाप्रबंधक, (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
.... (म.प्र.)

विषय :– संधारण कार्यो के लिए ई–मार्ग के संबंध में।

–0–

संधारण कार्यो की निगरानी एवं भुगतान के लिए एन.आई.सी. द्वारा ई–मार्ग पोर्टल बनाया गया है। इसका प्रदर्शन दिनांक 18 एवं 19 सितम्बर 2014 को वाल्मी में महाप्रबंधकों की समीक्षा बैठक में किया गया था। इससे पूर्व माह दिसम्बर 2013 / जनवरी 2014 में सभी इकाईयों के संधारण प्रभारी सहायक प्रबंधकों एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया था। कार्यालयीन पत्र क. 5337 दिनांक 19.03.2014 द्वारा सभी इकाईयों को योजनांतर्गत निर्मित सभी मार्गो पर संधारण कार्यो के लिए पूर्व में किए गए भुगतानों सहित सभी प्रविष्टियों GIS के अंतर्गत करने के लिए निर्देशित किया गया था। परंतु यह देखा गया है कि इकाईयों द्वारा उक्त प्रविष्टियां पूर्ण नहीं की गई है।

वर्तमान में भोपाल संभाग के जिलों में ई–मार्ग द्वारा संधारण कार्यों का भुगतान किया जा रहा है। 01 नवम्बर 2014 से जबलपुर, इंदौर एवं होशंगाबाद संभागों में भी यह प्रणाली लागू की जा रही है। ई–मार्ग के माध्यम से Pre-5 maintenance के सभी पैकेजों (संधारण में terminate किये गये पैकेजों को छोंड़कर) का भुगतान किया जायेगा। भुगतान पोर्टल में मार्गों के payment निरीक्षणों की प्रविष्टि के आधार पर किया जायेगा। तथापि routine inspection के अंतर्गत समय–समय पर किये जाने वाले निरीक्षणों को भी फोटोग्राफ सहित अपलोड किया जायेगा। अतः सभी इकाईयां ~~10~~ 15 नवम्बर 2014 तक संधारण कार्यो का पूर्ण डाटाबेस ई–मार्ग पोर्टल पर प्रविष्ट करें।

जिन इकाईयों ने डाटा एन्ट्री का कार्य किया है, उनके द्वारा सूचित की गई कठिनाईयों को निराकृत करते हुए निम्न निर्देश जारी किए जाते है :–

1. डाटा एन्ट्री के लिए User Manual, ई–मार्ग पोर्टल पर data maintenance मे help के अंतर्गत उपलब्ध है। प्रविष्टि करने के पूर्व User Manual का अध्ययन करें एवं पी.आई.यू. लॉगिन से तद्नुसार प्रविष्टि करें।
2. पोर्टल के द्वारा ई–भुगतान के पूर्व डाटा एन्ट्री के अंतर्गत सभी पैकेजों में संधारण के लिए अनुबंध में प्रावधानित दर की प्रविष्टि आवश्यक रूप से की जानी है। कुछ इकाईयों द्वारा दरों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई है। कुछ इकाईयों द्वारा ''रूपये'' के स्थान पर ''लाख रूपये'' में दर की प्रविष्टि की गई जो कि सही नहीं है। अतः इकाईयों में लेखाधिकारी एवं महाप्रबंधक, प्रविष्ट की गई दरों के अनुबंधानुसार सही होने की पुष्टि आवश्यक रूप से करें। त्रुटिपूर्ण दरें अंकित होने पर भुगतान में त्रुटि होगी जिसके लिए महाप्रबंधक एवं लेखाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3. दिनांक 18/09/2014 को महाप्रबंधकों की समीक्षा बैठक के समय सभी इकाईयों को ठेकेदारों के PAN Number की पुष्टि करने के लिए निर्देशित किया गया था। अनेक इकाईयों द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, अतः शीघ्र पूर्ण करें।
4. पोर्टल पर Data Maintenance के अंतर्गत Construction पैकेजों की प्रविष्टि पूर्ण करने एवं पैकेज के सभी मार्गों की पूर्णता अंकित करने के बाद पैकेज पूर्णता का विवरण अंकित करने पर ही मार्ग/पैकेज Pre 5 Maintenance में दर्शित होगा। Construction तथा Pre 5 Maintenance की प्रविष्टियों को पूर्ण करें।
5. संधारण के अंतर्गत टर्मिनेट किये गये पैकेजों के लिए Data Maintenance के अंतर्गत "Terminate" का विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब Terminated Package में धारा–24 के अंतर्गत अंतिम निर्णय हो चुका हो। "Terminate" विकल्प का उपयोग करने के बाद शेष संधारण के लिए नये पैकेज का निर्धारण किया जाता है जिसमें Allocation में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत एवं स्वीकृत दरों के आधार पर पार्ट–1 एवं 2 की राशि की मार्गवार प्रविष्टि की जानी है। यह प्रविष्टि ऐजेंसी निर्धारित हो जाने की स्थिति में ही की जा सकेगी। अतः शेष संधारण के लिए नये पैकेज की प्रविष्टि एजेंसी का निर्धारण होने के बाद में करें।
6. Pre-5 maintenance के allocation/expenditure में डाटा एन्ट्री के दौरान यदि त्रुटिवश गलत प्रविष्टि हो जाती है तो संबंधित महाप्रबंधक को दिए गए लॉगिन/पासवर्ड से पोर्टल पर Data Maintenance में जाकर सुधार किया जा सकता है। तथापि ई –मार्ग के माध्यम से पैकेज के प्रथम संधारण देयक का भुगतान करने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं रहेगा। अतः सभी इकाईयां डाटा एन्ट्री के समय सावधानी रखें एवं Correct विवरण ही अंकित करें अन्यथा देयकों का सही भुगतान नहीं होगा।
7. नए ठेकेदारों की प्रविष्टि के लिए पी.आई.यू. के लॉगिन से पोर्टल पर Mastar Database में जाकर वांछित विवरण की प्रविष्टि करें। Submit करने के बाद प्रिंट लेकर ठेकेदार एवं महाप्रबंधक के हस्ताक्षर तथा सील के उपरांत उल्लेखित मेल एड्रेस पर पेन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ स्केन करके भेजें। इसके उपरांत मुख्यालय द्वारा ठेकेदार को लॉगिन पासवर्ड जारी किया जाएगा। जो कि ठेकेदार द्वारा उल्लेखित मोबाईल पर SMS एवं ई–मेल पर प्राप्त होगा।

3/11

प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

पृ. क्र. 22047 /22/वि–12/ग्रासप्रा/GMT-5/2014 भोपाल, दिनांक 10/10/2014

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक, समस्त/वित्त म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

3/11

प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

D:\GMT\Maintenance letter2014.doc